संख्या–932 /XXVIII-4-2014-28(8)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 13 जुलाई, 2015

विषय– उत्तराखण्ड राज्य हेतु "औषधि क्रय नीति"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/52/2008–09/20627, दिनांक 17.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली–2008 दिनांक 01.05.2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली,2015, दिनांक 15.6.2015 से प्रवृत्त (आच्छादित) होने के कारण शासनादेश संख्या–1284/XXVIII-5/2008-24/2003 दिनांक 28.10.2009 के द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित औषधि क्रय नीति सामयिक नहीं रह गयी है।

2– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के आलोक में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए औषधियों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन क्रय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा, जिसके मूल्यांकन हेतु उनसे चार्टेड एकाउटेंट (सी0ए0) द्वारा अभिप्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की टर्न ओवर की प्रतियां ली जाए एवं उन्ही फर्मों से दवा की खरीद की जाए, जिनका विगत 03 वर्षों का औसत टर्नओवर कम से कम ₹ 70.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा, किन्तु रसायन (Chemical) के लिये ₹ 20.00 करोड का टर्नओवर होना चाहिए। उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय उत्पादकों को इस शर्त के साथ छूट देते हुये 03 वर्षों का औसतन टर्नओवर ₹ 20 करोड़ प्रतिवर्ष होगा। सर्जिकल आईटमों इत्यादि हेतु विगत 03 वर्षों का टर्नओवर ₹ 1.00 करोड़ प्रतिवर्ष होगा।
2. औषधियों का क्रय केवल उन्ही फर्मों से किया जाएगा, जिस फर्म के पास D.G.O.A. (रक्षा मंत्रालय) का अनुमोदन W.H.O.G.M.P./G.M.P. with Revised Schedule 'M'/G.M.P. with G.L.P.(Good Laboratory Practices) पंजीकरण प्रमाण–पत्र अवश्य हो। निर्माता फर्मो द्वारा अपनी निर्माण इकाई में स्थापित लैब से औषधि का उत्तम मानक कोटि का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा में उल्लिखित औषधियों का निविदा फर्म का अपना उत्पादन व विक्रय का 03 वर्ष के अनुभव का प्रमाण–पत्र सी0ए0 से प्राप्त कर सम्बन्धित प्रान्त के औषधि नियन्त्रक द्वारा प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराया जाना होगा।
4. जिन औषधि आपूर्तिकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य डिपो/सी0एण्डएफ0 नहीं है, उनके फर्म द्वारा उत्पादित औषधि उत्तराखण्ड में स्थित स्थानीय वितरक से अनुबन्ध के उपरान्त ही उनके माध्यम से वितरण कर सकते हैं किन्तु बीजक उत्तराखण्ड राज्य का ही अनुमन्य होगा।

क्रमशः 2...

5. किसी भी औषधि निर्माता की वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं वर्ष के वास्तविक उत्पादन में यदि अधिक अन्तर हो तो फर्म को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिये शासन को इस सम्बन्ध में इस शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।

6. निविदादात्री फर्म अगर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधोमानक अथवा नकली दवा बनाने में दण्डित हुयी हो तो उस इकाई से औषधि का क्रय नहीं किया जायेगा। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा किसी अपराध में दण्डित हुयी हो तो तब भी फर्म से औषधि का क्रय न किया जाए।

7. प्रत्येक निविदादात्री फर्म को अपने लाईसेन्स की तथा उस पर अनुमोदित सारे औषधियों की अद्यतन सूची अपने प्रान्त के औषधि नियन्त्रक से सत्यापित कराते हुए उपलब्ध करायी जायेगी।

8. कोई भी औषधि डी0पी0सी0ओ0 में प्रदत्त सीलिंग प्राइज से अधिक दर पर क्रय नहीं की जायेगी।

9. उत्तराखण्ड में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों से उनके द्वारा उत्पादित की गयी औषधियों को क्रय किये जाने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के अनुसार मूल्य वरीयता डी0पी0सी0ओ0 द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत दी जायेगी।

10. उत्तराखण्ड की निर्माण इकाईयों के उत्पादकों के शासकीय क्रय के विषय में उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश का अध्यारोही प्रभाव होगा।

11. प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर ''यू0के0जी0 सप्लाई'',''नॉट फार सेल' इन्डेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेशन ही मान्य होंगे। आयातित औषधियों/वैक्सीनों की सेल्फ लाइफ 50% स्वीकार होगी।

12. चिकित्सा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–291/XXVIII-4-2013-78/2012 दिनांक 05.03.2012 द्वारा प्रख्यापित आवश्यक औषधि सूची (इ0डी0एल0) में निहित औषधियों सर्जिकल सामग्री एवं नैदानिक सामग्री (Dignostic) की ही निविदा की जायेगी।

13. चिकित्सा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–644/XXVIII-4-2014-28/2012, दिनांक 21.05.2014 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–50(9)/2010–पी.आई.–4, दिनांक 10.12.2013 में निहित 103 औषधियों का क्रय निर्धारित दर/न्यूनतम दर पर सी0पी0एस0यू0ई0 से निहित मार्गदर्शन के अनुरूप ही किया जायेगा।

14. भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियों को छोड़कर शेष समस्त औषधियों के टेण्डर कराये जायेंगे। हीमोफीलिया, एनटी रेबीज, एनटी स्नेक आदि औषधियों हेतु एक बार टेण्डर कराने पर यदि कोई निर्माता कम्पनी टेण्डर में प्रतिभाग नहीं करती है तो इन औषधियों की महत्ता/समयान्तर्गत उपलब्धता के दृष्टिगत ई0एस0आई0 की निर्धारित दरों पर शासन के पूर्वानुमोदन के पश्चात् क्रय की जा सकेंगी।

15. परिधिगत अधिकारियों द्वारा QUOTATION प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जायेगा, केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ, दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली, 2015 के प्राविधानों के अनुसार

क्रमशः 3.....